पंचम माला, खंड 62, अंक 45, सोमवार, 24 मई, 1976/3 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXII, No. 45, Monday, May 24, 1976/Jyaistha 3, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[16वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

500LSS/76—GIPF.

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 45, सोमवार, 24 मई, 1976/3 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

No. 45, Monday, May 24, 1976/Jyaistha 3, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	3—4
बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्थान विधि (प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित	Banking and Public Financial Institutions Laws (Miscellaneous Provisions) amendment Bill—Introduced.	4—5
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में—	Re. Calcutta High Court Judgment on Payment of Bonus to LIC Employees	5
विवाह विधि (संशोधन) विधेयक	Marriage Laws (amendment) Bill	5—15
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	5—15
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani ..	5
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Sayid Muhammad	6—8
खण्ड 2 से 39 और 1	Clauses 2 to 39 and 1 ..	8—14
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	14
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	14
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	14
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद —	Dr. V. A. Seyid Muhammad ..	14—15
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	15—16
विचार करने का प्रस्ताव—स्थगित	Motion to consider—Postponed. ..	16
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक	Merchant Shipping (Amendment) Bill	16—21
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	16
श्री एच० एम० त्रिवेदी	Shri H. M. Trivedi	16—18
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail ..	18—19
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	19
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	19
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik. ..	19—20
खण्ड 2 से 26 और 1	Clauses 2 to 26 and 1	21
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	21
श्री एच० एम० त्रिवेदी	Shri H. M. Trivedi	21

भेषजी (संशोधन) विधेयक	Pharmacy (Amendment) Bill ..	22—23
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha. 22	
चौधरी राम सेवक	Chowdhury Ram Sewak	22
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	23—24
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	24—25
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	25
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy ..	25—26
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh ..	26—27
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	27
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar ..	27
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia ..	28
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	28—29
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	29—30
खण्ड 2 से 20 और 1	Clauses 2 to 20 and 1 ..	31—33
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	31
चौधरी राम सेवक	Chowdhury Ram Sewak	33

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 24 मई, 1976/3 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Monday, May 24, 1976/Jyaistha 3, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड रांची के 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-10894/76]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे और विलम्ब सम्बन्धी विवरण।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी-10895/76]

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनायें

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 331 (ङ) और 332 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-10896/76]

(दो) सा० सां० नि० 681 जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी-10897/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 333 (ङ) से 337 (ङ) जो दिनांक 12 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**देखिए** संख्या एल टी-10898/76]

(दो) सा० सां० नि० 682 और 683 जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**देखिए** संख्या एल टी-10899/76]

भारतीय सीमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी०-10900/76]

बिहार कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०-10901/76]

डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1976

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी की ओर से सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 663 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०-10902/76]

———

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 17 मई, 1976 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 20 मई, 1976 की अपनी बैठक में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1976, जो लोक सभा द्वारा 17 मई, 1976 को पास किया गया था, से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 17 मई, 1976 की अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी दोनों सभाओं की समिति में 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए शामिल होने सम्बन्धी एक प्रस्ताव स्वीकार किया है और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया है :—

(1) श्री कृष्ण बहादुर चेत्तरी
(2) श्री श्याम लाल गुप्त
(3) प्रो० एन० एम० कांवले
(4) श्री एन० एच० कुम्भारे
(5) श्री योगेन्द्र मकवाना
(6) श्री प्रभु सिंह
(7) श्री वी० सी० केशवराव
(8) श्री लिवोनार्ड सोलोमन सारिंग
(9) श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
(10) श्री वी० वी० स्वामीनाथन

(चार) कि राज्य सभा 17 मई, 1976 की अपनी बैठक में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री विट्ठल गाडगिल के समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने और श्री वेनीगल्ला सत्यनारायण की राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों पर दो सदस्यों को निर्वाचित करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त संयुक्त समिति में निर्वाचित किए गए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्री कमेश्वर सिंह
(2) श्रीमती मैमूना सुल्तान

बैंककारी और लोक वित्तीय संस्था विधि (प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक

BANKING AND PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (MISCELLANEOUS PROVISIONS) AMENDMENT BILL

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय औद्योगिक विकास के बैंक अधिनियम, 1964 और क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय औद्योगिक बैंक विकास अधिनियम, 1964 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में

RE : CALCUTTA HIGH COURT JUDGMENT ON PAYMENT OF BONUS TO LIC EMPLOYEES

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने आपको लिखित रूप में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मने स्वीकार नहीं किया है। परन्तु यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहें, तो वह वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि चेयरमैन ने निदेश दिया है तो उसकी कोई वैधता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया है, तो वह मामला सभा में ध्यान आकर्षण का विषय नहीं बन सकता। मैंने इसे ध्यान आकर्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परन्तु यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहें, तो वह वक्तव्य दे सकते हैं।

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक--जारी

MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : In our country marriage is considered to be a sacred and inseparable bond. Though the marriage ceremonies are performed in various ways in the different parts of the country, but it is common in all types of marriage—be it on the consideration of caste, province and anything else or be it love marriage or court marriage that the prospective husband and wife take a solemn pledge that they will live together throughout their life. But in some cases it happens that some ill-will or misunderstanding crops up between the husband and wife and it becomes difficult for them to live together and they want separation. This Bill will be of great help in such cases. The Minister deserves to be congratulated for bringing such a progressive measure.

In our country marriages take place on the basis of caste, community race and province. This is a main hurdle in the way of nationalism and national integrity. So I would request the on. Minister to make a provision in the law to encourage inter-caste and inter-state marriage, as this will go long way in bringing about national integration in the country and creating a sence of mutual understanding between different castes and religions. So long as this is not done national integration will not be strengthened.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद० मुहम्मद) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर अमूल्य योगदान दिया है।

इस संशोधन को लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपबन्धों को ढीला किया जाए, परन्तु साथ-साथ यह संतुलन भी कायम किया जाए कि नए उपबंधों से लोगों को खुली छूट न मिल जाए। अपने इस प्रयत्न में हम ने मानवीय पहलू तथा पति-पत्नी के अधिकारों और दायित्वों को, विधि आयोग और महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा जनसाधारण द्वारा संविधिक-पुस्तक के सम्बन्ध में दिए गए अभ्यावेदनों का विशेष महत्व दिया है।

इस विधेयक के संबंध में सभा में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और संशोधन पेश किए गए हैं। मैं प्रत्येक संशोधन को समान रूप से महत्वपूर्ण समझता हूं, परन्तु सभा का अधिक समय न लेते हुए मैं मुख्य-मुख्य संशोधन का ही उल्लेख करूंगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने सुझाव दिया था कि धारा 8 के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य कर दिया जाए। हम ने इस विषय को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। हमने इस सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बना दिया है। कुछ राज्यों ने नियम बनाए हैं पर उन्होंने पंजीयन को अनिवार्य न करके वैकल्पिक रखा है। हम इस उपबन्ध के कार्यान्वयन पर नजर रखेंगे और यदि ऐसा प्रतीत हुआ कि वैकल्पिक पंजीयन व्यवस्था दोनों पक्षों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती तो हम पंजीयन को अनिवार्य करने का उपबन्ध कर देंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन कोयम्बटूर : मैंने यह संशोधन विधि आयोग तथा महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधारपर पेश किया है। यह मामला बहुत समय से विचाराधीन है। पंजीयन को अनिवार्य करना नितान्त आवश्यक है।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मैं इस संशोधन को बहुत महत्व देता हूं। हमने यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।

जहां तक विवाह की न्यूनतम आयु का सम्बन्ध है। विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिए जाने का सुझाव दिया गया है। सामान्यतया यह विचार सही है। परन्तु इस समय हम लड़कियों के लिए 15 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयु को ही आवश्यक समझते हैं। इसका कारण यह है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम में भी यह उपबन्ध है और इस समय हम इस अधिनियम तथा बाल विवाह अवरोध अधिनियम में इन दोनों में संशोधन नहीं करना चाहते।

जहां तक व्यभिचार का संबंध है, पहले यह उपबन्ध था कि जब कोई व्यभिचार के आधार पर तलाक मांगता है, तो उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि सम्बन्धित व्यक्ति व्यभिचारी है। परन्तु अनुभव से पता चलता है कि यह सिद्ध करना बड़ा कठिन है। अतः यह उपबन्ध किया गया है कि व्यभिचार का एक मामला ही तलाक के लिए उचित आधार है।

अन्य उपबन्धों के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष तक न सुने जाने सम्बन्धी उपबन्ध के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी दिखाई गई है। यह उपबन्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष तक कुछ न सुना जाए तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। हमने उसी के आधार पर यह उपबन्ध यहां किया है। परन्तु यह परित्याग का आधार नहीं बन सकता। हमने यह उपबन्ध सम्बन्धित पक्षों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तःस्थापित किया है। तथापि यदि ऐसा लगा कि इस से कठिनाई बढ़ रही है तो हम इस पर पुनः विचार करेंगे।

जहां तक विवाह के अस्वीकार किए जाने का सम्बन्ध है, यह उपबन्ध किया गया है कि यदि एक लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है तो वह उसे 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अस्वीकार कर सकती है। मुस्लिम विधि में भी ऐसा ही उपबन्ध है और वह संतोषजनक ढंग से चल रहा है। इसीलिए यह उपबन्ध किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ही छोटी आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। आपने कहा है कि 15 वर्ष की आयु में लड़की विवाह को अस्वीकार कर सकती है। परन्तु उसने अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा और अपने ससुर का घर भी नहीं देखा होता। वह कोर्ट में जाकर कैसे ब्यान दे सकती है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम के होते हुए भी कई लोग छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं और वह शादी हिन्दू कानून के मुताबिक वैध कहलाती है। इसे कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : जहां तक विवाह के अस्वीकार किए जाने का सम्बन्ध है, यदि एक लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है तो वह उसे 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अस्वीकार कर सकती है। मुस्लिम कानून में भी ऐसा ही उपबन्ध है और वह उचित रूप से चल रहा है। इसी कारण हमने इसे विधेयक में रखा है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) : यदि वह अपने पति के घर जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह वहां रहने के लिए सहमत है। उसके बाद वह विवाह को कैसे अस्वीकार कर सकती है।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : वहां जाकर और अपने पति के साथ रहकर यदि उस लड़की को यह पता चलता कि उसका पति एक अच्छा आदमी नहीं तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व शादी को अस्वीकार करने का उसे अधिकार है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह एक तरफा बात नहीं हो सकती। यदि किसी लड़के की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है और पति-पत्नी के मिलन के बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की के साथ रहना सम्भव नहीं है तो क्या वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह को अस्वीकार कर सकता है ?

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : तलाक के अन्य कारणों से वह ऐसा कर सकता है। मानसिक रोग और पागलपन के लिए सिविल सर्जन का प्रमाणपत्र पर्याप्त माना जाएगा। अतः हमने इस सम्बन्ध में निर्णय न्यायालय पर छोड़ दिया है। प्रमाणपत्र पेश करने के बजाए इसे न्यायालय में सिद्ध करना बेहतर है। अतः मैं विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पेश किए गए रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड 2

Clause 2

श्री बी० वी० नायक : मैं संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। 5 वर्ष की आयु में विवाह शारीरिक विवाह होगा मानसिक नहीं। 21 वर्ष की आयु सहयोग के साथ शान्तिपूर्वक रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इससे जनसंख्या पर भी रोक लगेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर (भालदह) : मैं संशोधन संख्या 16 पेश करता हूं।

खण्ड 2 में विवाह के अवैध करार देने के आधार बहुत कठोर हैं। यह तय करना कठिन है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ है कि वह शादी के और बच्चा पैदा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे कठिनाइयां बढ़ जाएंगीं। इसलिए "बच्चों का प्रजनन" शब्द निकाल दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 1, 3 और 16 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गयेऔर अस्वीकृत हुए।
The amendment were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 2 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 से 5 के लिए कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 3 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 6
Clause 6

श्री दिनेश जोरदर : मैं संशोधन संख्या 17 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

Clause 7

श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक : मैं संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पेश करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं संशोधन संख्या 18 और 19 पेश करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं संशोधन संख्या 27 और 28 पेश करती हूं।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं संशोधन संख्या 31 और 32 पेश करता हूं।

खण्ड 7 के अन्तर्गत पति को तलाक के लिए आवेदन देने का अधिकार नहीं है जबकि पत्नी को है । यह भेदभाव है । सरकार दोनों को यह अधिकार देकर इस भेदभाव को समाप्त करे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : यदि पति-पत्नी का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय है तो वे सात वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। परन्तु यदि दोनों में से कोई विलुप्त हो जाता है तथा उसका कुछ पता नहीं चलता तो दूसरे को पहले ही विवाह कर लेना चाहिए । अतः प्रतीक्षा का समय 7 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया जाए।

श्री दिनेश जोरदर : पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक सभा में चर्चा के लिए इतनी जल्दबाजी में लाया गया है कि विधेयक के प्रत्येक महत्वपूर्ण उपबन्ध पर विचार नहीं किया जा सका है। विवाह के अनिवार्य पंजीकरण, विवाह योग्य आयु को बढ़ाना, अल्प व्यस्क बच्चों की अभिभावकता, कई वर्षों तक पति का लाप्ता होना और मानसिक रूप से ठीक न होना कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। इसी कारण मैंने कहा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए। इस तरह जल्दी में हम विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे।

विवाह को अस्वीकार करने के लिए आयु सीमा कम से कम 19 वर्ष रखी जाए। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की को कम से कम एक वर्ष यह सोचने के लिए दिया जाए कि क्या वह विवाह को मान्य मानेगी या अस्वीकार करेगी।

Shri M. C. Daga : So long as a girl does not attain the age of 18 years and does not come to live with her in-laws she should not have the right of repudiating the marriage. If this age is reduced to 15 years it is likely to be misused by the village people who will remarry their daughters in order to extract money.

श्री बी० बी० नायक : क्या आप विवाह विधि के माध्यम से इस देश के पुरुष और महिला दोनों प्रकार के नागरिकों के लिए ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जो विवाह या तलाक को प्रेरित करती है ? दूसरे आप युग्लों के प्राइवेट जीवन को रोशनी में लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? व्यभिचार को अत्याचार की कार्यवाही के रूप में हम व्याख्या क्यों नहीं कर सकते ? हम व्यभिचार को अत्याचार मान सकते हैं। हमें इस बात के लिए पक्के सबूत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद : मैं इस तर्क से सहमत हूं कि 7 वर्ष की अवधि काफी लम्बी है तथा इसके कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। परन्तु इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई है । कोई लड़कर चला जाता है तो यह बात समझ में आती है, परन्तु ऐसी स्थिति में जब कि दम्पति सुख से जीवन बिता रहे हों तथा नियंत्रण से बाहर किसी कारण से एक अलग हो जाता है तो तत्काल ही यह निर्णय ले लेना कि वह मर गया है, आसान नहीं है। इसी कारण हमने 7 वर्ष के सिद्धांत को अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी संशोधनों को एक-साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या 30 अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 31 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 7 के अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 2, 4 to 9, 18, 19, 27, 28 and 32 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री डागा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री डागा और श्री दिनेश जोरदार अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं भी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

खण्ड 15

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री डागा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री जोरदर अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री दिनेश जोरदर : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री जोरदर अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिनेश जोरदर : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 18 and 19 were added to the Bill.

खण्ड 21

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 21 was added to the Bill.

खण्ड 22 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 22 to 26 were added to the Bill.

खण्ड 27

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24, 25 और 29 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment No. 24, 25 and 29 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने" ।

2—500LSS/76

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 27 was added to the Bill

खण्ड 28 से 39 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 28 to 39 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाये" ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक अथवा दो बातें कहना चाहती हूं ।

माननीय मंत्री ने विवाहों के रजिस्ट्रेशन के मामले को जिस उपेक्षा की दृष्टि से लिया है उससे हमें निराशा हुई है । इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन से स्त्रियों को संरक्षण मिलेगा । 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुए एक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि अभी तक इसके लिये उचित समय नहीं आया है । हम कितने समय प्रतीक्षा करते रहेंगे । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वर्तमान कानून में संशोधन करके अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का उपबन्ध करें ।

विवाह की आयु बढ़ाने के बारे में मंत्री महोदय के तर्क से मैं सहमत नहीं हूं । ये दोनों विषय समूचे देश से सम्बन्ध रखते हैं । अतः इन्हें राज्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये ।

SHRI M. C. DAGA : Now the divorces will become very common. This measure is being passed very hurriedly. This is a piece of social legislation. It should have been made applicable to all the people of the Country and to all the sections.

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : मैंने इन बातों के बारे में पहले भी कह दिया है : अतः मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं ।

मैं श्रीमती कृष्णन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने पूरे विचार के बाद यह निर्णय किये हैं। हमें इन संशोधनों पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। बाद में यदि हम महसूस करेंगे कि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो हम वह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में

RE : SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : यह विधेयक केवल दो या तीन दिन पहले पुरःस्थापित किया गया है। हमें इस पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विधेयक को आगामी सत्र तक स्थगित कर दें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगले सत्र तक माननीय सदस्य इस पर अच्छी तरह अध्ययन कर लेंगे और विधेयक अपने विचार दे सकेंगे। **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : हमें मान्य है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : यह विधेयक पहले ही बहुत समय से लम्बित था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें एक निश्चित तिथि बतायें जब इस विधेयक को लिया जायेगा। यह बहुत आवश्यक है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : 1965 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची को ठीक नहीं समझा गया था। 1967 में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। पिछली लोक सभा द्वारा इसे एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था। 17-11-69 को उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस बीच लोक सभा की कार्यावधि समाप्त हो गई। इस सभा की नियत अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब आपात स्थिति में यह अवधि बढ़ा दी गई है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक को लाने और इसे पास कराने में जल्दी की जा रही है। अब जब कुछ लोग यह चाहते हैं कि इस पर विचार होना चाहिये। अब यदि इसे स्थगित किया जाना है तो इसे लाने के लिये निश्चित तिथि दी जानी चाहिये।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये और चौथी लोक सभा में जिस विधेयक पर अधूरी चर्चा हुई थी, उसे पुनः पुरःस्थापित किया जाये।

SHRI RAM HEDAOO (Ramtek) : I want that the discussion on this Bill should not be postponed. It is a very important Bill.

SHRI RAM KANWAR (Tonk) : This Bill concerns the lists of scheduled Castes and scheduled Tribes. This Bill is not comprehensive. It should have complete lists etc.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतुल) : इस विधेयक के विषय के महत्व के कारण इस पर मतभेद हो सकते हैं। अतः इसलिये श्री दासचौधरी का सुझाव मान लिया जाना चाहिये। इस पर विचार के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सभा के अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को शीघ्रता से लाने की मांग की है। इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर विचार के लिये अधिक समय लग सकता है। अतः माननीय सदस्यों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार को स्थगित किया जाये। (**व्यवधान**)

SHRI RAM HEDAOO : I oppose the postponement. It is being done crush the people belonging to these castes.

श्री राम हिडाऊ सभा से उठकर बाहर चले गये।

Shri Ram Hedaoo then left the House.

श्री के० रघुरामैया : मैं इस विधेयक के लिये किसी निश्चित तिथि के लिये नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कार्यसूची में शामिल की मदों को एकदम बदला जा सकता है? इस बारे में नियम 25 के अधीन अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है। अब तो सभा के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव भी है। सभा इस पर निर्णय कर सकती है।

एक माननीय सदस्य : हम इस पर सभा में मतदान चाहते हैं।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 121 : विपक्ष में 14

Ayes 121 : Noes : 14

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वाणिज्यिक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा में पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य दो अन्तर्राष्ट्रीय करारों के उपबन्धों को विधायी रूप से लागू करना है। समुद्र में जीवन की रक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में पोतों के निर्माण के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

समुद्र में जीवन-रक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करार सन् 1929 में हुआ था, जिसमें इस बात को समझा गया था कि भारत के आसपास के समुद्रों, लाल सागर, मलाक्का खाड़ी, हांगकांग और डच ईस्ट-इंडीज़ के समुद्र वर्ष के अधिकांश भाग में अपेक्षाकृत शान्त रहते हैं अतः यहां उन मानकों में ढील दी जा सकती है जिनका उक्त करार में उल्लेख किया गया है।

शिमला में इस संबंध में रुचि रखने वाली सरकारों का सम्मेलन सन 1931 में हुआ था जिसमें स्वीकार किए गए नियमों को शिमला नियम, 1931 कहा जाता है।

[**श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए**
SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair*]

यद्यपि समुद्र में जीवन की रक्षा सम्बन्धी 1929 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में दिए गए सुरक्षा मानकों में बाद में 1948 और 1960 के समझौतों द्वारा सुधार किया गया है, तथापि विशेष व्यापार में लंगरगाह रहित यात्री पोतों के लिए 1931 के शिमला नियमों के अनुसार छूट दी जाती रहेगी।

लंगरगाह रहित यात्री पोतों के सुरक्षा मानकों में असमानता भारत के लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए हमने 1963 में अन्तर-सरकारी नौवहन सलाहकार सम्मेलन संगठन में शिमला नियमों में संशोधन करने का प्रश्न उठाया और हमने अपने प्रयास जारी रखे जिसे अन्ततः (1) 1971 का विशेष व्यापार-यात्री पोत समझौता हुआ, और इससे मुख्य रूप से सुरक्षात्मक मानक आधुनिक पाये गये और अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का पालन किया गया, तथा (2) विशेष व्यापार यात्री पोतों के लिए स्थान की आवश्यकता के लिए अस्थाई समझौते 1973, का पालन किया गया। यहीं मुख्य रूप से स्थान सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हुई।

1971 का समझौता 2 जनवरी, 1974 को लागू हुआ था और स्थाई समझौता अभी लागू किया जाना है। 1971 के समझौते का अनुसमर्थन करने के लिए अनुबन्ध करने वाले पक्ष को अनुसमर्थन के तिथि के तीन महीने के भीतर इसके उपबन्धों को लागू करना होगा। अतः हमने तब तक अधिसूचना को अस्थगित करने का निश्चय किया है जब तक कि समझौते के उपबन्धों को लागू करने हेतु विधायी उपाय पूरे नहीं हो जाते। वर्तमान विधेयक के पास होने से हम 1971 के दोनों समझौतों तथा 1973 के अस्थाई समझौते को लागू कर सकेंगे। संसद द्वारा विधेयक पास किये जाने के तुरन्त बाद इन समझौतों का अनुसमर्थन करने का विचार है।

72 घंटे की अवधि से कम यात्रा करने वाले विशेष व्यापार-यात्री पोतों पर ये समझौते और अस्थाई समझौता लागू नहीं होंगे। समझौते और अस्थाई समझौते के पूर्ण उपबन्ध विशेष यात्री व्यापार के लिए बनाए जाने वाले नये पोतों पर ही लागू होंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL ((Barrackpore) : A Committee that was appointed about eight years back to suggest amendments in the MerchantShipping Act as a whole, has made certain recommendations. It would have been better if a Comprehensive Bill incorporating those recommendations would have been placed here instead of bringing this piecemeal amending Bill.

The Special Trade passangers ships have been violating the provisions of Merchant Shipping Act since long but no intervention has been made by Government so far. They loaded passengers as well as Cargo in their ships much more than their Capacity. The plight of those passengers who travelled in these Ships for the purpose of pilgrimage is pitiable . There are no proper arrangements for catering for them. They have no adequate space to sleep at night. A Committee has been set up for looking after the catering arrangements for passengers but the Committee has never met even once.

Nothing has been said in this Bill in regard to manning of crew in these Ships. The private ship owners themselves decided the number of passengers to be carried in a Ship, the number of crew, the route of marines and all such things. No definite rules have been formed in that regard. It is good that this Bill now provided for these things. It also laid down that medical facilities will have to be provided for the passengers.

Transportation of goods provides opportunities for Smuggling. So, in order to check this evil, provision should be made in the Bill laying down for police verification of passengers in each case.

सभापति महोदय : अब सभा दो बजे तक के लिए स्थगित होती है। श्री इस्माईल अपना भाषण तब जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई।

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock)

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minute past forteen of the clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वाणिज्यिक पोत परिवहन संशोधन विधेयक--जारी

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL—*contd.*

SHRI MOHAMMAD ISMAIL : Adequate attention has not been paid so far to the improvement o finland service in the Country. It would have been better if this Bill has include provisions for improving those services. Definite rules should be laid down in regard to the

number of passengers to be carried in a ship and the number of crew to man the ship. In regard to medical facilities, every medical officer attached to the ship should submit a statement in regard to number of persons taken ill and the nature of ailments suffer by them in each trip.

• If any Ship-owner violated the rules in this regard, he sould be given punishment of not only fine but also imprisonment. However, I support this Bill.

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani) : Since this is a very important Bill, if it deserved full support from all sides of the House. The main objective of this Bill is to provide for the implementation of special trade passenger ships Agreement of 1971 and the protocol of 1973. This Bill also propose to alter the nomenclature of 'unberthed passenger ships' to 'special trade passenger ships'.

The amendments proposed in this Bill are quite clear as certain conditions mentioned therein are to be fulfilled by a passenger ship before it undertakes a voyage and they pertain to the number of passengers, strength of the crew, arrangement for safety of passengers, medical facilities provided for the passengers as well as the crew etc. Provision has also been made for punishment in the case violation of rules in regard thereto. Since private ship-owners are prone to act arbitrarily with only the profitmotive, therefore, any violation of these rules by them should be dealt with very severely. In case of death of any passenger on board a ship, a detailed report in this regard should be asked for and compensation should be given to the family members of the deceased.

Steps should also be taken to see that the rules in this regard are strictly implemented and complied with. Provision of severe punishment in cases of violation of these provisions should be made.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Thousands of muslims under look pilgrimage every year and travelled through the passenger ships. If adequate facilities were provided to them and their voyage is made comfortable and attractive, it would go a long way in increasing the passenger ship services. To achieve that, the ships should be in a most befitting condition, catering arragements and medical facilities for passengers should be satisfactory and adequate. This bill made provision for the medical officer over one thousand passengers. It is too inadequate, so, this facility should be further improved and made more comprehensive. Then steps should be taken to see that medicines are also made available there in sufficient quantity. The Minister should pay some attention to this aspect.

Special attention has to be given to the arrangements made for the safety of passengers. Measures should be taken to see the private ship owners did not load their ship much more than what their capacity allowed, causing inconvenience or hardship to passengers. Provision should be made for giving stringent punishment to those who violated the rules in this connection.

It is understood that the national shipping Board has submitted a report making recommendations for bringing forth a comprehensive legislation for the development of shipping including inland water transport. The laws in this field are quite old and they required to be amended in the present set-up. This kind of piece-meal legislation would not serve the purpose. The inland water Transport needed to be developed today with a view to compete with other modes of transportation. It was therefore, very much essential that a Comprehensive Bill should be brought here which provided for the development of inland water transport also.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस समय "हज" यात्रा करने वाले मुसलमान यात्रियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। "पोप" के प्रवचन सुनने तथा अन्य धार्मिक संस्कारों के लिए "वैटिकन" की यात्रा करने के इच्छुक ईसाई भारत में बहुत हैं। लेकिन इस समय

कैथोलिक ईसाइयों को यह सुविधा नहीं दी जाती है। आशा है सरकार ईसाइयों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी ।

पोतों में एक यात्री को केवल 0.37 वर्ग मीटर स्थान दिया जाता है। यह स्थान बहुत कम है । इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए ।

इसको आप दुगुना न कर सकें परन्तु इसे 0.37 वर्ग मीटर से बढ़ा दें । बाड़ों में समायोजन करके भी ऐसा किया जाये ।

बम्बई से कोचीन तक जलयानों द्वारा व्यापार होता था। अब नौवहन मंत्रालय ने बंबई से गोआ तक यात्री सेवा स्वीकार कर ली है। ऐसा विरोधी दलों के प्रयत्नों से सम्भव हो सका है । कम से कम अब तो हम मंत्री महोदय तक अपनी आवाज पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस रूट को कुछ सौ मील बढ़ाया जायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम का संशोधन करना है जिससे कि हम दो अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को क्रियान्वित कर सकें। नौवहन अधिनियम में कोई व्यापक संशोधन करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

उल्लेख किया गया है कि पोत मालिक अनुमत क्षमता से अधिक यात्री ले जाते हैं। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि पोत मालिक को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसके जहाज में कितने यात्री हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल आफिसर मरकेन्टाइल मैरीन लदे जहाज में यात्रियों की संख्या की जांच कर सकता है और यदि पोत में क्षमता से अधिक यात्री पाये गये तो उसे दण्ड देने का उपबंध किया गया है।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि एक हजार यात्री पर एक चिकित्सा अधिकारी होगा। यदि यात्रियों की संख्या एक हजार से अधिक हो जाये तो दो चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था की जायेगी। चूंकि ये पोत कम दूरी की समुद्री यात्रा करते हैं इसलिए अधिक संख्या में डाक्टर रखना आवश्यक नहीं है ।

इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को कार्यान्वित करने का वास्तव में यह आशय है कि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं। वस्तुतः हमने यह समझौता स्वीकार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रस्ताव किया है जिससे सुरक्षा मानक आधुनिक हो जाये। हमने प्रथम प्रोटोकोल से भी आग्रह किया है कि उस स्थान की परिभाषा की जाय जो बाद में यात्री स्थान कहलायेगा। अतः इस अधिनियम के कार्यान्वयन से यात्रियों को उपलब्ध किए जाने वाले स्थानों को नियमित किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने ईसाइयों के रोम की यात्रा करने की सम्भावना का उल्लेख किया है। रोम या इटली की यात्रा करने वाले पोत भिन्न प्रकार के होते हैं जिन पर यह उपबंध लागू नहीं हो सकता ।

एक माननीय सदस्य ने पोत में प्रत्येक यात्री के लिए स्थान की व्यवस्था करने संबंधी धारा 261 (ग) का संशोधन पेश किया है। यह उपबंध 1973 के अस्थाई समझौते पर आधारित है जिसे सरकार क्रियान्वित करना चाहती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटोकोल में इकतरफा संशोधन करना सम्भव नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : क्या आम आदमी की दृष्टि से 0.37 वर्ग मीटर पर्याप्त है।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इसकी पर्याप्तता के बारे में पृथक-पृथक राय हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 13

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 से 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 से 26, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 14 से 26, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 14 to 26, clause 1, Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भेषजी (संशोधन) विधेयक

PHARMACY (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भेषजी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

भेषजी अधिनियम का उद्देश्य भेषजी व्यवसाय को नियमित करना है और इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में केन्द्रीय और राज्य भेषजी परिषदों का गठन करने का उपबन्ध है। चूंकि इस अधिनियम में पिछली बार 1959 में संशोधन किया गया था और इस दौरान अनेक बातें घटी हैं जिनसे इस अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए सरकार ने भेषजी संशोधन विधेयक पेश किया है ।

इस विधेयक में जो महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया है वह बंगला देश से आये लोगों तथा बर्मा, श्रीलंका, युगांडा के प्रवासियों को जो उन देशों में, भेषजी का व्यवसाय करते थे, और इस देश में भेषजों के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं, सुविधाएं देने की व्यवस्था है। इस उपबन्ध से भारत में ऐसे लोगों को अपना जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी और उनकी वर्तमान कठिनाई दूर हो जायेगी ।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत दवाइयां तैयार करने तथा उनका वितरण करने के लिए कई व्यक्तियों को 'योग्यता प्राप्त व्यक्ति' माना गया था। दिसम्बर, 1959 से मान्यता देने की यह प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। फिर भी यह आवश्यक समझा गया है कि जो व्यक्ति पहले ही अंग्रेजी दवाखानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भेषजी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए और इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए उपबन्ध भी किया गया है। यदि फिर भी कोई राज्य सरकार इस विधेयक की धारा 42 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करती तो इस विधेयक के पारित होने के पांच वर्षों पश्चात् यह धारा स्वतः ही लागू हो जायेगी। इस उपबन्ध के अन्तर्गत औषधियों को तैयार करने और उनका वितरण करने का कार्य केवल पंजीकृत औषध-कारक ही करेंगे ।

इन संशोधनकारी विधेयक में औषधाकारकों का एक सैंट्रल रजिस्टर तैयार करने के उपबन्ध भी हैं और इसमें औषधकारकों को भारतीय भेषज परिषद् में व्यापक प्रतिनिधित्व देने की भी व्यवस्था है। इसमें इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भेषज परिषद् द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : हमें अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में औषधकारकों की आवश्यकता है। किन्तु दुर्भाग्यवश आज भी सरकार ने देश में औषधकारकों को समुचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को नहीं समझा गया। पश्चिम बंगाल राज्य में केवल जादवपुर विश्वविद्यालय में ही भेषज प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में रखा गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भेषज प्रशिक्षण को अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखा है। इससे पता चलता है कि आज भी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार लोगों को योग्यता प्राप्त औषधकारक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के प्रति जागरुक नहीं है और इसी कारण हमारे देश में योग्य औषधकारकों की कमी है।

इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि योग्यता प्राप्त औषधकारों के वेतनमान बहुत कम हैं। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक हैं और इसे पूरा करने में दो वर्ष का समय लगता है। देश में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संक्षिप्त पाठ्यक्रम चालू किया जाना चाहिए।

विधेयक में उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों ने बंगला देश को 14 अप्रैल, 1957 के बाद और 25 मार्च, 1971 से पहले छोड़ा है, उन्हें ही इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए विस्थापित व्यक्ति माना जायेगा और बे ही औषधकारकों के रूप में पंजीकरण करने के अधिकारी होंगे। बशर्ते कि वे कुछ अन्य शर्तों को पूरा करते हों। 15 अगस्त, 1947 को देश का विभाजन हुआ। 1946 में नावोखली में दंगे हुए थे, भारत सरकार के अनुसार नाओखली के दंगों के बाद जिन लोगों ने पूर्वी बंगाल छोड़ा था, उन्हें भी विस्थापित व्यक्तियों के वर्ग में रखने पर विचार करना होगा। 25 अगस्त, 1947 के पश्चात लाखों लोग आये और उनमें से कई इस व्यवसाय में लगे हुए थे। किन्तु विधेयक में 14 अप्रैल, 1957 की तिथि निर्धारित की गई है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। अत: इस तिथि को बदल कर 1946 किया जाना चाहिए ताकि इस तिथि के पश्चात भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये सभी ऐसे व्यक्तियों पर यह विधेयक लागू किया जा सके।

इस तालिका में रखे गए चिकित्सकों ने सिफारिश की है कि छोटे छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के अनुकूल औषधकारकों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए तथा दवा वितरकों के प्रशिक्षण के लिए एक अल्पकालीन गहन, आवश्यकता प्रधान पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भेषज अधिनियम के कार्यकरण पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए और विधान को पुन: इस ढंग से तयार किया जाए ताकि एक सुयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा स्थापित की जा सके।

[**श्री वसंत साठे** पीठासीन हुए।]
[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

इस विधेयक के अनुसार पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक कार्य कर लेने के पश्चात किसी भी औषधकारक को चिकित्सक से "योग्यता प्राप्त औषधकारक" का प्रमाण-पत्र लेने का अधिकार होगा इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया गया है। इन लोगों में से कुछ

को औषधालयों अंग्रेजी दवाखानों तथा अस्पताल आदि में नौकरी मिल जाएगी लेकिन सभी को मिलनी कठिन है। सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा इन लोगों को गांवों में जाकर औषधालय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए वे बैंकों से तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह संशोधन-कारी विधेयक पारित कर देने तथा बड़ी संख्या में इन लोगों को योग्यता प्राप्त घोषित करके तथा उनका पंजीकरण कर देने से कुछ नहीं होगा।

यह एक सराहनीय विधेयक है। इसमें कोई विशेष आपत्तिजनक बात नहीं है केवल दोष यही है कि इसे देर से लाया गया है और यह परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इन शब्दों "14 अप्रैल, 1957 के बाद" की ओर दिलाया है। इन शब्दों में उचित संशोधन किया जाए ताकि बंगला देश से वापिस आए लोगों को भी इससे कुछ लाभ हो।

इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अधिनियम 1948 में बनाया गया तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया। अधि-नियम में केन्द्रीय और राज्य परिषदों के गठन की व्यवस्था है।

संशोधनकारी विधेयक में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय परिषद् में टैक्नीकल शिक्षा बोर्ड का भी एक प्रतिनिधि होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी एक प्रतिनिधि होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि को रखने की बात तो समझ में आती है लेकिन टैक्नीकल शिक्षा बोर्ड को प्रतिनिधित्व देने का क्या आशय है। मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देते समय जरा इस बात पर भी प्रकाश डालें।

बंगला देश, बर्मा, श्रीलंका तथा उगांडा से हज़ारों लोग स्वदेश लौटे हैं। वे भेषज का कार्य कर रहे हैं हमारे ही देश में हज़ारों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी लोग अपने आपको औषधकारकों के रूप में पंजीकृत करा लेना चाहिए। इस विधेयक में उन सब लोगों के पंजीकरण की व्यवस्था है।

हमारे गांवों में विशेष रूप से चिकित्सकों तथा दवाइयों की कमी है। इस व्यवसाय में लगे लोगों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और पंजीकृत कर दिए जाने के बाद उन्हें गावों में जाकर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

निरीक्षक सरकारी क्षेत्र का कार्य चलाने के लिए होती है किन्तु अधिकांश निरीक्षक अपना कार्य निष्ठा से नहीं करते। वे केवल धन कमाने में लगे रहते हैं। भ्रष्ट निरीक्षकों के लिए विधेयक में कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सरकार को यह सुनि-श्चित करना चाहिए कि निरीक्षक को समुचित पारिश्रमिक तथा सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सके। एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अन्दर निरीक्षक रजिस्ट्रार को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यदि कोई राज्य सरकार इस विधेयक की धारा 42 को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो इस विधेयक के पारित होने के पांच वर्षों बाद यह धारा स्वतः ही लागू हो जाएगी। इस ओर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

हाथी समिति की सिफारिशें तेज़ी से कार्यान्वित की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SARDAR SWARN SINGH SOKHI (Jamshedpur) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. Section 42 of the Pharmacy Act empowers the State Government to appoint a date on and from which unregistered persons would be prohibited from dispensing medicines in that State. Many State Governments have not appreciated as yet any date under the said section 42. The Central Government should have asked the erring States to implement this provision. It is the duty of the Central Government to ensure that its laws are implemented.

The Bill seeks to provide facilities for the registration of those persons who have migrated to India. The Government should register much persons after proper enquiries so that unqualified persons do not get themselves registered. The Central Council will have the power to appoint a Registrar who will act as a Secretary to the Council and he might also be asked to act as treasurer. One person can do one job properly at a time. Therefore Registrar should not be entrusted with other jobs.

There is a provision for taking security from the Registrar or any other officer. These might be honest and qualified persons who might not be in a position to pay security money. The Minister should take this aspect into consideration. These persons should not be asked to deposit security.

There is need for opening more and more pharmacies in rural areas. The Government should take steps in this direction.

The Government should provide the list of registered pharmacist to all municipal committees or notified area committees.

The Bill seeks to provide that the audit of accounts of the Pharmacy Council of India or any person authorised by him. It is a good provision. These audit reports should be presented to Parliament also..

The Pharmacy Council of India should meet more frequently. Two meetings a year are not sufficient.

With these words I support the Bill.

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : भेषज अधिनियम, 1948 में पास हुआ तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया और अब दूसरी बार इसमें संशोधन किया जा रहा है।

1970 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 71,000 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। जिनमें से सभी लोग पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं। देश में 51 संस्थानों द्वारा औषधकारकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में औषधकारकों को प्रशिक्षण देने वाला केवल एक ही संस्थान है। देश में ऐसे संस्थानों की संख्या बहुत कम है। इन संस्थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारे देश में प्रशिक्षित और योग्य औषधकारकों की संख्या बढ़ाई जा सके।

भेषज अधिनियम की धारा 42 राज्य सरकारों को एक तिथि निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है जिस तिथि से गैर-पंजीकृत व्यक्ति पर उस राज्य में दवाइयों के वितरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

1961 से पहले कम्पाउन्डरों का भी औषध तथा भेषजी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हो सकता था लेकिन दिसम्बर 1969 से यह बंद कर दिया गया। जनवरी 1970 से लेकर अब तक कम्पाउन्डरों के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद वह अपने नाम भेषज परिषद् के पास भेषजविज्ञ के रूप में पंजीकृत करा सकेंगे। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि कम्पाउन्डरों को पंजीकरण की सुविधा से इतने वर्षों तक वंचित क्यों रखा गया?

इस विधेयक के अन्तर्गत विस्थापित कम्पाउन्डर और स्वदेश लौटने वाले पंजीकरण के हकदार होंगे। स्वदेश लौटने वालों पर आने की तिथि के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन बंगलादेश से आए लोगों पर एक प्रतिबंध लगाया गया है जो विस्थापित लोग 14 अप्रैल, 1957 से पहले आए हैं वे पंजीकरण के हकदार नहीं होंगे। इससे पहले जो लोग आए हैं उनका पंजीकरण हो सकता है।

1947 तथा इसके बाद हजारों की संख्या में आए विस्थापितों का यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल बंगला देश का ही जिक्र है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दें। "14 अप्रैल, 1957" का शब्द हटा दिया जाये।

सभापति महोदय: 1957 के बजाय यह 1947 होता तो अच्छा था।

डा० सरदीश राय: धारा 6 के बारे में संशोधन दिए गए हैं। "नौकर" की जगह "कर्मचारी" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

कहा गया है कि जिन लोगों के नाम औषधकारक के रूप में दर्ज हैं उन्हें रोजगार पर लगाया जायेगा। मैं चाहता हूं कि उन्हें थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाये।

खाद्यान्न अपमिश्रण विधेयक में व्यवस्था की गई है कि दोषी पाए गए निरीक्षक को दंडित किया जायेगा। इस विधेयक में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाये।

निरीक्षकों को अपना कार्य ठीक तरह से करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैंने इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया है कि निरीक्षकों को स्वतंत्र साक्षियों के सामने निरीक्षण करना चाहिए।

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur) : I suppo.t the Pharmacy (Amendment) Bill. There is a lot of misunderstanding between the term "Pharmacy" and "Pharmacist". I think Phrmacist is a medical personnel having deep knowledge of medicines. He gets training fo: two years but there are no avenues of promotion fo. him in the country.

You have constituted a Pharmacy Council. I think that experienced and trained persons in the line of Pharmacy should be taken in the council. Attention should be given to Section 34(1) so that anomaly regarding annual registration by Phamacists could be removed.

Some provision for taking tests of Phamacists before their registration should be made.

It will not be in the interest of villagers if some Primary Teacher, Accountant, etc. etc. is sent to villages after giving him one or two months training. After all what can be expected from the bare footed Doctors. They will play with the lives of the villagers. These people should be given some proper training.

The period of 5 years prescribed in the bill should be reduced to one year.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों को भारतीय भेषजी परिषद् में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है। किन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भेषजी से क्या सम्बन्ध है, मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

भेषज विज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों को भेजने की बात की जा रही है। हमारे देश में नियोजकों तथा नीति निर्माताओं को यह पुनीत आशा अब तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। हमें भेषजविज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना चाहिए ताकि लोगों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

मन्त्री महोदय को राज्य स्तर पर औषध नियंत्रक के कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। वित्तीय कठिनाइयों के कारण नए भेषजी उद्यमों की स्थापना करना थोड़ा कठिन है। राज्य स्तर पर औषध तथा प्रसाधन विभाग पर दबाव डालना बड़ा कठिन है। इस मामले की जांच कराई जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों के वितरण के लिए पंचायत तथा ग्रामीण सहकारी समितियों को प्रोत्साहित दिए जाने चाहिएं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : इस विधेयक के अनुसार हम कुछ लोगों का, जो किसी प्रैक्टीशनर या विभाग के अन्तर्गत कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिन्हें इसका अनुभव है, औषधकारक के रूप में पंजीकरण कर रहे हैं। ऐसा करके हम भारतीय जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कदम उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह कैसे हो सकता है कि किसी चिकित्सक के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयं चिकित्सक बन जाये? अतः मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि डिप्लोमाधारी के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों को औषधकारक के रूप में पंजीकृत किया जाये।

औषधकारकों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। यदि वे एक बार औषधकारक के रूप में इस सेवा में प्रवेश करते हैं तो वे औषधकारक के रूप में ही सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। इन लोगों की पदोन्नति के लिए हमें उपाय करने चाहिएं।

एक औषधकारक का कार्य किसी चिकित्सक या कम्पाउन्डर से अधिक जिम्मेदारी का है। अतः इस तरह की जिम्मेदारी तथा खतरे का कार्य गैर-डिप्लोमाधारी को नहीं सौंपा जाना चाहिए जो कि डिप्लोमाधारी तथा पंजीकृत प्रैक्टीशनर के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने जा रहा है। यह कार्य उन्हें सौंपा जाना चाहिए। जिन्होंने नियमित प्रशिक्षण, अभ्यास तथा अनुभव के आधार पर डिप्लोमा प्राप्त किया है।

श्री चप्लेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : ग्रामीण लोगों के लिए, जिन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, हमारी चिकित्सा सहायता प्रबन्धों को नियमित करने तथा उनका राष्ट्रीयकरण करने का दूसरा प्रयास है। यद्यपि यह विधेयक आज पारित हो जायेगा तो भी यह पांच वर्ष बाद लागू होगा। मुख्य प्रश्न यह है कि उस समय हमें कितने औषधकारकों की आवश्यकता होगी। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, पता नहीं कि इसका हिसाब लगा लिया है अथवा नहीं।

इस विधेयक में एक असंगति है। जो शरणार्थी 1947 में और 1957 के बीच आया है और जिसे भारत सरकार ने ऋण सुविधा दी है तथा जिसका पुनर्वास भी किया है, उसे इस विधेयक में इस तरह की सुविधा नहीं दी गयी। 1947 तथा 1957 के बीच अन्तर है। यह असंगति दूर की जानी चाहिए।

यह सही है कि हम मिक्सचर तथा मरहम जैसे चिकित्सा उपायों से काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम औषधकारकों की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तथा उनकी सूझबूझ के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन डिग्री लेने के लिए हर बार उन्हें दो वर्ष या तीन वर्ष अथवा पांच वर्षों का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रतिभाशील नवयुवक पांच वर्षों के लिए किसी चिकित्सक के समुचित मार्गदर्शन में कार्य करके अपने आपको कुशल औषधकारण साबित कर सकता है। पैट्रोल पदार्थों के खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से दवाइयां बेचने का विचार अच्छा है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

जहां तक एक रजिस्टर खोलने का सम्बन्ध है, इसका स्वागत है। इससे व्यवस्था के युक्तियुक्त करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक केन्द्रीय परिषद् का सम्बन्ध है, इस परिषद् में औषधकारकों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्हें केन्द्रीय परिषद् के समक्ष अपनी शिकायतें पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय परिषद् उनके मार्ग-दर्शन के लिए एक सार्थक योजना बना सके और निरीक्षक अपने पदों का समुचित लाभ न उठा सके। यदि निरीक्षण आवश्यक है तो यह भी आवश्यक है कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। इस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : There are 5 lakh villages in our country. In most of the villages, there is no adequate arrangement for medical care of the villages, who usually suffer from infectious diseases like influenza, malaria, cholera etc. It is regrettable that most of our qualified doctors do not like to go to the villages and, therefore, even primary health facilities are not available there. It is in this field that our pharmacists can play an important role.

Efforts should be made to train a large nubmer of pharmacists. After they are qualified, they may be asked to go to the villages to serve the people there. These pharmacists can render yeoman's service in villages and can to a certain extent meet the medicine requirements of the villages by providing elementary health and medical services. This aspect should be looked into more seriously.

In clause 6 of the Bill, the word 'servant' has been used many times. This is a derogatory word. It should be substituted by the word 'employees'.

The Bill provides that any attempt to violate the provision of the Act will be punishable with an imprisonment for a term, which may extend to six months, or with fine not exceeding one thousand rupees or both. In order to ensure that the culprits may not get away with fine only the words 'with a fine etc'. should be deleted.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : I welcome this Bill.

The Minister should clarify as to what criterion will be applied to these persons who are going to be registered as pharmacists under this Bill. Many unqualified persons, on the basis of recommendation from M.P.s or doctors etc. get themselves registered and become qualified pharmacists. These persons pose a grave danger to the lives of the patients. This practice must be stopped. This aspect must be looked into more seriously.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : धारा 32 (क), जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ विस्थापितों के पंजीकरण का उपबन्ध है, पर काफी बल दिया गया है। व्याख्या (1) में विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। उक्त परिभाषा के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् अब बंगला देश से आए किसी भी विस्थापित व्यक्ति को धारा 32(क) के विशेष उपबन्धों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन एक नए उपबन्ध अर्थात् 32(ख) को अधिनियम में शामिल करके आंतरिक अव्यवस्था अथवा आंतरिक अव्यवस्था के भय के कारण बंगला देश से आए विस्थापितों को पंजीकरण के विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई धारा विद्यमान उपबन्ध के विरुद्ध नहीं है और न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को छीनती है जो कि पहले विद्यमान कानून के अन्तर्गत पंजीकरण का हकदार था। विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा और 14 अप्रैल, 1957 की तारीख का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह तारीख हमने दन्त चिकित्सक अधिनियम में दी गई परिभाषा से ली है।

यह भी कहा गया है कि ऐसे कई लोग हैं, जो 1947 के बाद और अप्रैल 1957 से पहले बंगला देश से आए हैं और जो भेषजविज्ञों के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं। सरकार इसकी जांच करेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में वह आवश्यक संशोधन करेगी।

भेषजी की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता प्राप्त की जा रही है। अतः भारतीय भेषजी परिषद् की समितियों के सदस्यों का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। यह विधेयक गैर-सदस्य विशेषज्ञों को भारतीय भेषजी परिषद् की समितियों की सदस्यता प्रदान करता है।

एक संशोधन यह भी सुझाया गया है कि केन्द्रीय रजिस्टर के अतिरिक्त, केन्द्रीय परिषद् को कदाचारों में अंतर्ग्रस्त भेषजविज्ञों की एक गुप्त सूची तैयार करनी चाहिए।

हम प्रस्तावक के अनुचित बातों को समाप्त करने सम्बन्धी संशोधन से पूरी तरह सहमत हैं। किन्तु इसके लिए जो तरीका सुझाया गया है उससे प्रयोजन हल नहीं होता और न ही यह व्यावहारिक होगा। केन्द्रीय रजिस्टर एक सरकारी दस्तावेज है और वह किसी भी अवस्था में एक गुप्त रजिस्टर नहीं हो सकता।

जो लोग कदाचारों में लगे हों उनकी पृथक् से गुप्त सूची बनाई जा सकती हैं। किन्तु ऐसा सांविधिक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मुख्य अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत भेषजविज्ञों के नामों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में रजिस्टर से हटाने का उपबंध किया गया है। इसमें न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि भी सम्मिलित है।

पश्चिम बंगाल में भेषजी के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए तीन संस्थायें हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में इसके लिए डिग्री पाठ्यक्रम है तथा जलपाइगुडी और कल्याणी में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। समूचे देश में 51 संस्थाएं हैं जो कि भेषजी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दे रही हैं और प्रत्येक वर्ष उन संस्थाओं से लगभग 2,722 व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं।

डिग्री पाठ्यक्रम प्रशिक्षण देने के लिए 23 संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं से प्रति वर्ष 714 व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों की संख्या वर्षानुवर्ष बढ़ती जा रही है। हमें उनके रोजगार के लिए व्यवस्था करनी है। जब देश में योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं तो हमें दवाइयों के वितरण के लिए अयोग्य व्यक्तियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। लगभग 70,000 या 80,000 व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत करवा लिए हैं।

औषधि तैयार करने वालों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। पहले इन लोगों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता था। संशोधनकारी विधेयक में स्वीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। 1 जनवरी, 1970 से भेषजविज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्वीकृत व्यक्तियों का पंजीकरण बन्द कर दिया गया था। इन संशोधनकारी विधेयक का परिणाम यह होगा कि भविष्य में केवल पंजीकृत भेषजविज्ञ ही औषधियां तैयार कर सकेंगे।

यह भी सुझाव दिया गया है कि भारतीय परिषद् की बैठकें अधिक होनी चाहिएं। परिषद् की बैठकें चाहे वर्ष में दो बार होती हैं लेकिन इसकी समितियों की बैठकें काफी होती रहती हैं।

औषध निरीक्षकों की शक्तियां सीमित हैं, अतः मुकदमेबाजी में शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है। राज्य भेषज परिषद् की कार्यकारी समिति से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मुकदमा किया जा सकता है।

हाथी समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है। हमने हाल ही में इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भेजा है और उनके विचारों को जानने के बाद ही हम इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भेषजी अधिनियम, 1948, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 2, 3 और 4 पेश करता हूँ ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन 2 से 4 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

सभापति महोदय : क्या श्री रामावतार शास्त्री अपना संशोधन पेश करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन 5 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 8 का कोई संशोधन नहीं है। मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन 6 पेश करता हूं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

खण्ड 12

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 7 पेश करता हूं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Classe 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

खण्ड 16

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 8 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 8 और 9 सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकत हुए ।
The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 17 to 20 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

चौधरी राम सेवक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

तत्पश्चात, लोक-सभा मंगलवार, 25 मई, 1976/4 ज्येष्ठ, 1898 (शक) के मध्याह्न-पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 25, 1976/Jyaistha 4, 1898 (Saka).

500 LSS/76—GIPF.